

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 128/2020 (धारा 14 सेक्योरिटाईजेशन)

इण्डिया वूल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

रजिस्टर पता-एम-62-63, फर्स्ट फ्लोर, कनाट पैलेस नई दिल्ली, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि रावे चौधरी।

प्रार्थी

बनाम

1. मंजरी चौधरी पत्नी स्व. श्री संजय चौधरी (सह ऋणी व विधिक उत्तराधिकारी स्व. श्री संजय चौधरी ऋणी)
2. उदय चौधरी पुत्र स्व. श्री संजय चौधरी (सह ऋणी व विधिक उत्तराधिकारी स्व. श्री संजय चौधरी ऋणी)
3. आयुष चौधरी पुत्र स्व. श्री संजय चौधरी (सह ऋणी व विधिक उत्तराधिकारी स्व. श्री संजय चौधरी ऋणी)

पता :- प्लॉट नम्बर 14, स्कीम नम्बर 10 ए, (तोपखानादेश जी.एच.एस.एस.) निकट रॉयल ऑरचिड होटल व दुर्गापुरा कृषि फार्म) श्रीजी नगर, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री प्रनोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।



आदेश


दिनांक 08.04.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था इण्डिया वूल्स हाउसिंग फाईनेंस फाईनेन्स लि. ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.03.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी धर्मेश अग्रवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नम्बर 14, स्कीम नम्बर 10 ए, तोपखानादेश जी.एच.एस.एस. श्रीजी नगर, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर क्षेत्रफल 204.44 वर्गगज को बन्धक रख कर 20,16,854/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.08.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

स्ट

3. प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 19 सितम्बर 2007 से सरफेरी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी स्व. श्री संजय चौधरी को 20,16,854/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थी स्व. श्री संजय चौधरी ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि गय ब्याज कुल 20,52,875/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02.08.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी स्व. श्री संजय चौधरी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 14, स्क्रीम नम्बर 10 ए, तोपखानादेश जी.एच.एस.एस. श्रीजी नगर, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर क्षेत्रफल 204.44 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।
8. आदेश आज दिनांक 08.04.2021 को सारे इजलास सुनाया गया।




 8/4/21
 (अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर